भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 109
03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: शीतागार की क्षमता में कमी

***109. श्री वामसि कृष्णा गद्दामः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के उत्पादन के सापेक्ष देश भर में शीतागार की क्षमता में वर्तमान कमी का ब्यौरा क्या है और इस कमी से सबसे अधिक कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं;

(ख) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत निर्मित शीतागार सुविधाओं की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) एकल-उत्पाद शीतागार, जिनमें से 33 प्रतिशत से अधिक उत्तर प्रदेश में हैं, की चुनौतियों का समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और राज्यों में इन सुविधाओं में विविधता लाने की क्या योजना है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तरार्थ "शीतागार की क्षमता में कमी" के संबंध में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 109 के भाग (क) से (ग) का उललिखित विवरण।

(क): नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (NABCONS) द्वारा "ऑल इंडिया कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी (एआईसीआईसी -2015)" पर वर्ष 2015 में एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में वर्ष 2014 में 318.23 लाख मीट्रिक टन की विद्यमान क्षमता की तुलना में उस समय कोल्ड स्टोरेज की अपेक्षित क्षमता 351.00 लाख मीट्रिक टन होने का आकलन किया गया था। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख): प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के अंतर्गत स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमकेएसवाई के तहत एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं के हिस्से के रूप में बनाई गई कुल कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की राज्यवार संख्या और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत निर्मित कोल्ड स्टोरेज का विवरण क्रमशः **अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ग): सरकार विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) को कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) के आधार पर देश में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले मल्टी कमोडिटी मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ए.ए.पी., राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकता, क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज का घटक मांग/उद्यमी द्वारा संचालित है जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर से संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है।

इस योजना के तहत व्यक्तियों, किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं के समूहों, भागीदारी/स्वामित्व वाली फर्मों, स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.), किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.), कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, सहकारी विपणन संघों, स्थानीय निकायों, कृषि उपज बाजार समितियों (ए.पी.एम.सी.) और विपणन बोर्डों तथा राज्य सरकारों के लिए सहायता उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) "कैपिटल इनवेस्टमेंट सब्सिडी फॉर कंस्ट्रक्सन/एक्सपेन्शन/मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड स्टोरज फॉर हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स" नामक एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 10000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज तथा कंट्रोल्ड ऐटमॉस्फियर (सी.ए.) के कंस्ट्रक्सन/एक्सपेन्शन/मॉडर्नाइजेशन के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का 35% और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में, 1000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाली इकाइयां भी सहायता के लिए पात्र हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम.ओ.एफ.पी.आई.), प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के एक घटक के रूप में इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग और प्रेजरवेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों के फ़सलोपरांत नुकसान को कम करना और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। इस योजना के तहत, मंत्रालय सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम (आई.टी.डी.पी.) क्षेत्रों और द्वीपों के लिए 50% की दर से स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए तथा अनुदान के रूप में और मूल्य संवर्धन एवं प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रमशः 50% और 75% की दर से विकिरण सुविधा (इरैडिएशन फैसिलिटी) सहित इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रति परियोजना 10.00 करोड़ रुपये की अधिकतम अनुदान सहायता के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज को कवर नहीं किया गया है।

उपर्युक्त सभी योजनाएं वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से मांग/उद्यमी द्वारा संचालित हैं जिनके लिए सरकारी सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी/अनुदान सहायता के रूप में है और राज्यों/उद्यमी से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, देश में एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये के एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) आरंभ किया है। ए.आई.एफ. के तहत, 2.00 करोड़ रुपये तक के कोलेट्रल फ्री टर्म लोन और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु लिए गए सावधि ऋण पर 3% की ब्याज छूट का प्रावधान है।

अनुबंध-I

देश में राज्य-वार आवश्यक कोल्ड स्टोरेज क्षमता (नैबकॉन्स रिपोर्ट - 2015 के अनुसार)

क्रम संख्या	राज्य	कोल्ड स्टोरेज की आवश्यक क्षमता (मीट्रिक टन में)
1.	आंध्र प्रदेश	530925
2.	अरुणाचल	7508
3.	असम	71996
4.	बिहार	5123982
5.	छत्तीसगढ़	513830
6.	दिल्ली	40122
7.	गोवा	2271
8.	गुजरात	2239476
9.	हरियाणा	240395
10.	हिमाचल प्रदेश	306147
11.	जम्मू एवं कश्मीर	907842
12.	झारखंड	24951
13.	कर्नाटक	210313
14.	केरल	45874
15.	मध्य प्रदेश	1867179
16.	महाराष्ट्र	157709
17.	मणिपुर	5062
18.	मेघालय	18704
19.	मिजोरम	8920
20.	नागालैंड	8675
21.	ओडिशा	305500
22.	पंजाब	1693408
23.	राजस्थान	53395
24.	सिक्किम	2621
25.	तमिलनाडु	194640
26.	तेलंगाना	277129
27.	त्रिपुरा	8554
28.	उत्तर प्रदेश	10675137
29.	उत्तराखंड	72931
30.	पश्चिम बंगाल	9480929
31.	संघ राज्य क्षेत्र एवं अन्य	4539
	कुल	**35100664**

(स्रोत: एन.ए.बी.सी.ओ.एन.एस. रिपोर्ट)

अनुबंध– II

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के तहत निर्मित शीतागारों का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	1
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	24
3	बिहार	4
4	छत्तीसगढ़	3
5	गुजरात	9
6	हरियाणा	10
7	हिमाचल प्रदेश	4
8	जम्मू और कश्मीर	1
9	कर्नाटक	5
10	केरल	2
11	मध्य प्रदेश	7
12	महाराष्ट्र	6
13	नागालैंड	2
14	उड़ीसा	5
15	पुडुचेरी (यूटी)	1
16	पंजाब	6
17	राजस्थान	4
18	तमिलनाडु	6
19	तेलंगाना	4
20	उत्तर प्रदेश	5
21	उत्तराखंड	5
22	पश्चिम बंगाल	3
	कुल	**117**

(स्रोत: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम.ओ.एफ.पी.आई.))

अनुबंध – III

पिछले पांच वर्षों के दौरान समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) के अंतर्गत निर्मित शीतागारों का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	56
2	असम	4
3	बिहार	4
4	छत्तीसगढ़	25
5	गुजरात	59
6	हरियाणा	11
7	हिमाचल प्रदेश	9
8	जम्मू और कश्मीर	27
9	झारखंड	1
10	कर्नाटक	43
11	केरल	1
12	मध्य प्रदेश	8
13	महाराष्ट्र	33
14	पंजाब	68
15	राजस्थान	8
16	तमिलनाडु	5
17	तेलंगाना	39
18	उत्तर प्रदेश	81
19	उत्तराखंड	1
20	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	**485**

(स्रोत: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.), पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एच.एम.एन.ई.एच.))

****